उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-26/2016/1562/तीस-4-2016-17(सा0)/2016

दिनांक: दिनांक: 09 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988(अधिनियम संख्या-59 सन् 1988) की धारा 68 की उप धारा (3) के खण्ड (ग-क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, मंजिली गाड़ी चलाने के लिये, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित मार्गों को प्रत्येक के सम्मुख उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित संभागों में, निश्चित करते हैं:-

अनुसूची

क्र.सं.	संभाग का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की कुल दूरी (कि0मी0)
1	2	3	4
1	झाँसी	माताटीला-ललितपुर वाया ताल बेहट	57
2	बस्ती	कटरा-बभनान-गौर बाजार	56
3		जीवधरा-बघौली	07
4		पचपोखरी-खलीलाबाद	14
5		विड़हरघाट-घनघटा	11
6		सगरा-रूधौली	09
7		वाराहाक्षेत्र-मनौरी	11
8	बरेली	शीशगढ़-बहैडी	23
9		बीसलपुर-पलिया	91
10		बदायूँ-गंजडुडवारा	50
11		पूरनपुर-गभिया	46
12	देवीपाटन गोण्डा	कैसरगंज-गाँधीगंज	23
13		पयागपुर-गंगवल	7
14		मरौचा-पटखौली	10
15		रोचा-टिकरी	09
16	गाजियाबाद	गाजियाबाद-मसूरी-धौलार-गुलावटी	41
17		सिखैडा-माधापुर	11.5
18		बाबूगढ़-शेखपुर	14
19		पिलखुआ-धौलाना	13
20		सिम्भावली-भरना	8.5
21		कुचेसर-चौपला-श्यामपुर	20.8
22		हापुड़-वैट	28.5
23		हापुड़-किठौर	18.8
24		हापुड़-समाना	25.5

आज्ञा से,

(आराधना शुक्ला)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-26/2016/1562(1)/तीस-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 200 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रामाश्रय प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या-26/2016/1562(2)/तीस-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, झॉसी, बस्ती, बरेली, देवीपाटन, गोण्डा, एवं गाजियाबाद सम्भाग, (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- मण्डलायुक्त, झॉसी, देवीपाटन, बरेली एवं गाजियाबाद ।
4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामाश्रय प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.26 /2016/1562/XXX-4-2016-17(sa.)/2016, dated December 09 , 2016.

Notification

N0.26/2016/1562/XXX-4-2016-17(sa.)/2016
Lucknow: Dated December 09, 2016

In exercise of the powers under clause (c-a) of sub-section (3) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988), the Governor is pleased to formulate the routes mentioned in column-3 of the Schedule below in the region mentioned against each in column-2 of the said Schedule for plying stage carriage.

SCHEDULE

S.N.	Name of Region	Name of the Routs	Total Distance of the Routs (K.M.)
1	2	3	4
1	Jhansi	Matatila-Lalitpur Via Talbehat	4
2	Basti	Katara-Babhnan-Gaurbazar	57
3		Jivdhara-Baghauli	07
4		pachpokhari-Khalilabad	14
5		viraharghat-Ghanghata	11
6		Sagra-Rudhauli	09
7		varahakshetra-Manauri	11
8	Bareilly	Shishgarh-Bahaidi	23
9		Bisalpur-Paliya	91
10		Badanyu-Ganjdudwara	50
11		Puranpur-Gabhiya	46
12	Devipatan Gonda	Qaisarganj-Gandhiganj	23
13		Payagpur-Gangwal	7
14		Maraucha-Patkhauli	10
15		Rocha-Tikari	09
16	Ghaziabad	Ghaziabad-Masuri-Dhaular-Gulawati	41
17		Sikhaida-Madhapur	11.5
18		Babugarh-Shekhpur	14
19		Pilkhuwa-Dhaulana	13
20		Simbhavali-Bharna	8.5
21		Kuchesar-Chaupala-Shyampur	20.8
22		Hapur-Vait	28.5
23		Hapur-Kithaur	18.8
24		Hapur-Samana	25.5

By Order,

(Aradhana Shukla)
Principal Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in